झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
पंचदश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 01.02.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	डॉ0 जीतू चरण राम स0वि0स0 श्री राम कुमार पाहन स0वि0स0	झारखण्ड राज्य के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में Forest Range Officer या ACF Assistant Conservator of Forest के पद में BSC Forestry पास छात्रों को कुल पदो का 50% सीधी नौकरी में नियुक्ति लेने का निर्णय लिया गया था जो छात्र BSC Forestry (Any University recognized by Indian council of Forestry Research and education (ICFRE) को प्राथमिकता देने का प्रावधान था तथा शेष 50% झारखण्ड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग नियमावली 2014 में निहित प्रावधानों में प्रोन्नति द्वारा भरा जाना था, किन्तु बाद में इस नियमावली को परिवर्तित किया गया है जिससे 50% BSC forestry पास छात्रों का भविष्य अंधकारमय लग रहा है। अतः उक्त माँगे जनहित आधारित है, इस नियुक्ति नियमावली को यथावत रखते हुए 50% BSC forestry पास छात्रों को Forest Range Officer या ACF Assistant Conservator of Forest में मौका दिया जाय। इस ओर हम सरकार से आसन के माध्यम से लागू करने के लिए ध्यानाकृष्ट करते हैं।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

01.	02.	03.	04.
02-	श्रीमती तोबा मांझी स0वि0स0	कोल्हान विश्वविद्यालय, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा संत अगस्तीन महाविद्यालय, मनोहरपुर में पढ़ने वाले बी0ए0 पार्ट-3 सत्र 2015-18 के सैकड़ों विद्यार्थियों ने भूगोल, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान तथा मुण्डारी विषय से परीक्षा दी थी। उनका परीक्षाफल परीक्षा समाप्त होने के एक साल बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन से संपर्क करने पर बताया जा रहा है कि उक्त विषयों को पढ़ाने की अनुमति महाविद्यालय द्वारा नहीं ली गई थी, इसलिए परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। प्रश्न यह है कि अगर विषयों की अनुमति कॉलेज को नहीं थी, तो किस परिस्थिति में कॉलेज प्रशासन ने नामांकण लिया एवं विश्वविद्यालय ने परीक्षा संचालित कैसे कराया? इसमें विद्यार्थियों का क्या दोष है? मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगी कि मनोहरपुर अति पिछड़ा एवं घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तथा गरीब आदिवासी बच्चे बहुत मुश्किल से शिक्षा ग्रहण करते हैं और सैकड़ों बच्चों का भविष्य परीक्षाफल प्रकाशित नहीं होने से अंधकारमय हो गया है। अंत में निराश होकर छात्रों ने आन्दोलन का रास्ता अख्तियार किया है। कॉलेज में तालाबंदी हो गई है। सभी पठन-पाठन का कार्य बाधित हो चुका है। अतः सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ ताकि शीघ्र छात्रों का परीक्षाफल प्रकाशित हो सके एवं कॉलेज में पठन-पाठन का कार्य सुचारू रूप से चल सके।	उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
03-	श्री रबीन्द्र नाथ महतो स0वि0स0 श्री नलिन सोरेन स0वि0स0 प्रो0 स्टीफन मराण्डी स0वि0स0	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित हाई स्कूल शिक्षक परीक्षा (CGTTCE) 2016 की चयन प्रक्रिया में एक ही **B.Ed** सत्र 2015-17 के प्रशिक्षित, कोल्हान विश्वविद्यालय एवं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अभ्यर्थियों को वंचित रखा गया। उक्त दोनों विश्वविद्यालयों के **B.Ed** का अंतिम परीक्षा का परीक्षाफल आ चुका था। अतः झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित हाई स्कूल शिक्षक परीक्षा-2016 के चयन प्रक्रिया में कोल्हान विश्वविद्यालय एवं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के **B.Ed** सत्र 2015-17 में सफल अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित किये जाने हेतु **J.S.S.C.** को निदेश दिये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से ध्यानाकृष्ट करते हैं।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
04-	श्री लक्ष्मण टुडू स0वि0स0	पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत घाटशिला प्रखण्ड अन्तर्गत कुल 22 पंचायत अवस्थित है जिसमें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी 1,29,905/- होने के साथ-साथ उक्त प्रखण्ड भोगोलिक दृष्टिकोण से काफी विस्तृत रूप में फैला है तथा बंगाल की सीमावर्ती क्षेत्र से सटा है, साथ ही उक्त प्रखण्ड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विभिन्न कार्यो से प्रखण्ड मुख्यालय आने-जाने में काफी कठिनाई होती है जबकि उक्त प्रखण्ड से गालूडीह की दूरी मात्र 10-12 कि0मी0 पर है जहाँ प्रखण्ड मुख्यालय होने से लोगों को काफी सुविधायें मिलेगी। अतः सदन के माध्यम से सरकार को जनहित में गालूडीह को प्रखण्ड बनाने की ओर ध्यान-आकृष्ट करता हूँ।	ग्रामीण विकास
05-	प्रो0 जय प्रकाश वर्मा स0वि0स0 श्री नागेन्द्र महतो स0वि0स0	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची में सन-1979 ई0 से वाणिकी की पढ़ाई हो रही है जहाँ प्रत्येक वर्ष 50 छात्रों का नामांकन प्रतियोगि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त लिया जाता है, सरकार एक छात्र की 4 वर्ष की	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

		पढ़ाई के लिए लगभग 30 लाख रूपये खर्च करती है। जब इसमें पढ़ने वाले छात्र 4 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा कर वाणिकी स्नातक (प्रतिष्ठा) की डिग्री प्राप्त कर लेते है, तो उन्हें एक सामान्य छात्र के रूप में समझा जाता है। सरकार द्वारा रेंजर, वन संरक्षक (ACF) की परीक्षा हेतु सभी प्रकार की डिग्रीधारियों को शामिल करती है। वाणिकी की पढ़ाई जिन छात्रों ने विशेषता हासिल की है, उन्हें इसकी कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है जो यह दर्शाता है, कि हमारी सरकार स्कील्ड छात्रों को छोड़ कर अयोग्य और अनस्कील्ड छात्रों को मौका देती है। अतः आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना है कि सरकार वाणिकी स्नातक (प्रतिष्ठा) अर्थात B.S.c. (Hons) Forestry उत्तीर्ण छात्रों को रेंजर, सहायक वन संरक्षक (ACF) के पद पर होने वाली बहाली में प्रावधान कर योग्य और स्कील्ड छात्रों को वन संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्यो में लगाने का कार्य करे।	

राँची,
दिनांक- 01 फरवरी, 2019 ई0।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2019-.....1071...../वि0 स0, राँची, दिनांक- 31/01/19

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग/वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.1.19

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2019-.....1071...../वि0 स0, राँची, दिनांक- 31/01/19

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

31/1/19

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-